

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा  
प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री .....  
ग्राम/शहर.....जिला/ अनुमंडल..... राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र .....में  
.....समुदाय के/की हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
के दिनांक \* .....के संकल्प सं. .... के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में माना गया है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... और/या उनका परिवार सामान्यतः .....  
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के .....जिला/अनुमंडल में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया  
जाता है कि वे भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993\*\* के कार्यालय ज्ञापन  
सं. 36012/22/93-Estt. (SCT) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) में से  
नहीं हैं।

जिला मजिस्ट्रेट: \_\_\_\_\_  
उपायुक्त आदि: \_\_\_\_\_

दिनांक:  
मुहर:

\*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे बताने हैं, जिसमें  
उम्मीदवार की जाति का उल्लेख अपिव के रूप में किया गया है।

\*\* समय समय पर यथा संशोधित

नोट: यहाँ प्रयुक्त "सामान्यतः" पद का अर्थ वही होगा, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20  
में दिया गया है।

नोट: निर्धारित प्रपत्र भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधन/परिवर्तन  
के अधीन है।